

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
(ई-मेल: hosd@pnb.co.in)

ईजीएम तथा निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि की सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बंडक) विनियम, 2000 और अन्य लागू विधि/दिशानिर्देशों के अनुसरण में, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024, संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023, संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, संख्या 2/2022 दिनांक 05 मई 2022 और संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 तथा सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एक आम स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना गुरुवार 04 सितंबर, 2025 को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

— राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 तथा पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बंडक) विनियम, 2000, आरबीआई मास्टर निर्देश 02 अगस्त, 2019, यथासंशोधित के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में यथाप्रदत्त तथा बैंक के एक शेयरधारक निदेशक के त्यागपत्र देने के कारण हुई रिक्ति को नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी अन्य लागू निर्देश/दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों के मध्य से पंजाब नैशनल बैंक के एक निदेशक का चुनाव करने तथा निर्वाचित निदेशक चुनाव की तिथि के अगले दिन से दिनांक 05.10.2026 तक जिस दिन पूर्ववर्ती शेयरधारक निदेशक ने शेयरधारक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था, पद पर बने रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त चुनाव में भाग लेने (नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने) के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि 08, अगस्त, 2025 शुक्रवार होगी तथा चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारकों द्वारा नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय, 20 अगस्त, 2025 बुधवार सायं 5.00 बजे तक है।

टिप्पणी:

1. ईजीएम की विस्तृत सूचना केवल उन सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल के पते उचित समय पर उपर्युक्त परिपत्र(त्रों) के अनुसार बैंक/निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं।
2. ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://www.pnbindia.in/AGM-EGM.html> तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
3. शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल और सहभागिता कर सकते हैं तथा ऐसी सहभागिता को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में उनके वोट के अधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता हेतु सुविधा, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा, एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से नेशनल सिंक्रोरीटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।
- ई-वोटिंग का विवरण तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने के निर्देश ईजीएम की विस्तृत सूचना में दिए जाएंगे।
4. केवल वे व्यक्ति जिनके नाम उपर्युक्त निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि तक शेयरधारकों/लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर (निक्षेपागार द्वारा अनुरक्षित) में दर्ज हैं, वे कार्यसूची मद पर रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
5. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को भी निर्धारित प्रपत्रों (बैंक की वेबसाइट लिंक <https://www.pnbindia.in/Important-Announcement-to-Physical-Shareholders.html> पर उपलब्ध) में बैंक के आरटीए अर्थात् मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ई-मेल आईडी: beetalrta@gmail.com) को तत्काल वैध पैन, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और अद्यतन नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत/अद्यतन करने की आवश्यकता है, यदि पहले से नहीं किया गया है तो, ताकि निर्बाध सेवा अनुरोधों के साथ-साथ बैंक खाते में लामार्थी क्रेडिट का लाभ उठाया जा सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी सुविधा के लिए, भौतिक होल्डिंग को डीमैटरियलाइज भी कर सकते हैं।
6. साथ ही, जो शेयरधारक डीमैट रूप में शेयर रखते हैं तथा उन्होंने उपर्युक्त विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार भागीदारों के माध्यम से इसे पंजीकृत/अद्यतन करा लें।
7. ईजीएम/चुनाव से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए, बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://www.pnbindia.in/AGM-EGM.html> पर जाने का अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31.07.2025

(विक्रमजीत शोम)
कंपनी सचिव